तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
16/10/25	प[illegible] वकील वादी/प्रतिवादी [illegible] न्यायकार्य उप[illegible] में सुनवाई नहीं में [illegible] हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक----- 5-11-25 -----को -- पेश हो
5/11/25	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित । पीठासीन अधिकारी के न्यायकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक----- 7-11-25 -----को -- पेश हो
07/11/25 सुखदेव मोरपाल	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उप० हैं। मिसल वास्ते जवाब तरकार प्राप्त हुआ जो शामिल फाईल किया जाता है। मिसल वास्ते साक्ष्य वादी में PW-1 सुखदेव पुत्र भैरुलाल तथा PW-2 मोरपाल पुत्र भैरुलाल का पेश किया जो शामिल फाईल किया जाता है। मिसल वास्ते बहस में दिनांक 24.11.2025 को पेश हो।
24.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य है अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
280 / 2024	16.07.2024	24.11.2025

उनवान

1— धर्मराज आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा निवासी पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा (वादी)

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0) (प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

यह कि ग्राम पीपल्दा बीरम पटवार हल्का कोटड़ादीपसिंह भूअभि0क्षेत्र बड़ौद तहसील दीगोद जिला कोटा के खाता नं0 39 नया, 38 पुराना पर खसरा नम्बर 89 / 477 की रकबा 0.81 हेक्टर भूमि वादी के खाते में दर्ज चली आ रही है। यह कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जोगेन्द्र दर्ज है जबकि वादी का नाम धर्मराज है तथा घर का बोलता नाम जोगेन्द्र है। इसी कारण वादी को खाद बाज व केसीसी ऋण लेने में व सहायता व मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह कि वादी का नाम धर्मराज है वादी के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पास बुक व अन्य दस्तावेज आदि में वादी का नाम धर्मराज अंकित है तथा उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जोगेन्द्र दर्ज कर रखा है जो गलत है। इस कारण वादी को खाद बीज व ऋण लेने में परेशानी हो रही है। यह कि उपरोक्त कारण से उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जोगेन्द्र के स्थान पर धर्मराज दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी से कई मर्तबा निवेदन किया तथा अन्त में दिनांक 06.06.2024 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया ओर मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

कि ग्राम पीपल्दा बीरम पटवार हल्का कोटड़ादीपसिंह भूअभि0क्षेत्र बड़ौद तहसील दीगोद जिला कोटा के खसरा नम्बर 89 / 477 की रकबा 0.81 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जोगेन्द्र पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर धर्मराज पुत्र जगन्नाथ दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादी की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये हैः–

1— नकल जमाबन्दी सवंत् 2073–2076 ग्राम पीपल्दा बीरम खाता संख्या 39

2— नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 ग्राम कोटड़ादीपसिंह खाता संख्या 194

3— छाया प्रति जन आधार कार्ड

4— छाया प्रति पहिचान पत्र

5— छाया प्रति आधार कार्ड धर्मराज मीना

6— छाया प्रति बैंक पास बुक धर्मराज मीना
7— प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कोटड़ादीपसिंह

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया। जो इस प्रकार है कि तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब सरकार में जोगेन्द्र पुत्र जगन्नाथ व धर्मराज पुत्र जगन्नाथ दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होना प्रकट किया है जवाब सरकार में राजस्व रिकार्ड में जोगेन्द्र पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर जोगेन्द्र उर्फ धर्मराज पुत्र जगन्नाथ दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रकरण को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य में स्वंय धर्मराज का शपथ पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न किया गया है तथा मोरपाल पुत्र भैरूलाल, सुखदेव पुत्र भैरूलाल जाति मीना निवासी पीपल्दा बीरम का शपथ पत्र भी प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। पत्रावली को बहस पर नियत किया जाता है।

बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार दीगोद उपस्थित है। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया। राजस्व रिकॉर्ड , जवाब सरकार एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं अधिवक्ता की बहस का गहन अध्ययन व अवलोकन किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों व कथनों तथा पत्रावली में संलग्न उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व जवाब सरकार के अवलोकन से वादी का नाम जोगेन्द्र पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर जोगेन्द्र उर्फ धर्मराज पुत्र जगन्नाथ दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार होने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपल्दा बीरम पटवार हल्का कोटड़ादीपसिंह भूअभि0क्षेत्र बड़ौद तहसील दीगोद जिला कोटा के खसरा नम्बर 89/477 की रकबा 0.81 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जोगेन्द्र पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर जोगेन्द्र उर्फ धर्मराज पुत्र जगन्नाथ दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है। मुताबिक़ निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– धर्मराज आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा निवासी पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

मिसल नं 280/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि – वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा की खाता संख्या 39 नया, पुराना 38 की खसरा नम्बर 89/477 की 0.81 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वाद का नाम जोगेन्द्र के स्थान पर जोगेन्द्र उर्फ धर्मराज दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 24.11.2025 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

सहायक कलक्टर
दीगोद